न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 181/2025 बउनवानी महावीर प्रसाद **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री बजरंगदास स्वामी निवासी बॉसी तहसील नैनवा जिला बूंदी

GCMS No-2025/348

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 13.8.2025 द्वारा खातेदारी भूमि खाता संख्या 32 ख0न0 1160 रकबा 0.13 है0 ग्राम जाजेडा तह0 चौथ का बरवाडा का सीमाकंन के संबंध मे की गयी कार्यवाही प्रमाणित सूचना"** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(01)(133)सूकाअ/2025/1365 दिनांक 18.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 13.8.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध भू0अभिलेख अनुभाग से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक 1049–51 दिनांक 4.9.2025 से प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग को भिजवाने पर प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.9.2025 द्वारा वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग के पत्रांक प.14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2025/5255 दिनांक 23.9.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	